392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

सीमा पर मुनहारा नदी पर पूर्व से बना हुआ स्लूईस गेट गत वर्ष के बाढ़ में सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक इस स्लूईस गेट का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग—(1) मुनहारा नदी स्लूईस गेट नहीं, वरन बलान शीर्ष कार्य मुनहारा ग्राम के पास गत वर्ष की भीषण बाढ़ में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।

(2) शीर्ष कार्य के पुनर्निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर से हाल ही में प्राप्त प्राक्कलन की जांच की जा रही है। जांचोपरान्त इसकी प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त निधि की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

सिंचाई की व्यवस्था

त्र-229. श्री अब्दुल हई पयामी : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा लोकही अंचल तिलयुगा नदी में महथौरा एवं रोआही के निकट लिफ्ट एरिगेशन की स्वीकृति 1980-81 में दी गई;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का कार्य अभीतक अधूरा है जिससे सिंचाई की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है; तो क्या सरकार उक्त योजना को चालू कराकर सिंचाई की व्यवस्था कराने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री, सिंचाई विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि रजौरा-महथौरा उद्वह सिंचाई योजना का सिविल कार्य पूर्ण है तथा इसके ऊर्जान्वयन हेतु राशि भी विद्युत पर्षद् को जमा कर दी गई है।

रोआही उद्वह सिंचाई योजना का भी सिविल कार्य पूर्ण है। ऊर्जान्वयन हेतु आवश्क कार्रवाई के लिये निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया है।

(3) बिहार राज्य विद्युत पर्षद् द्वारा विद्युतीकरण के पश्चात् इस योजनाओं से सिंचाई कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

सिंचाई परियोजनाओं को चालू करना

त्र-131. श्री अभय कान्त प्रसाद : क्या मंत्री, जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सरवां प्रखंड के सरपत्ता, तेलरिया, टिकोरायडीह, रतुरा, पहाड़िया आदि उद्वह सिंचाई योजनाएं विगत 5 वर्षों से बन्द हैं, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द उद्वह सिंचाई परियोजनाओं को लागू कराने का विचार रखती है, 'नहीं', तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि देवघर जिलान्तर्गत तेलरिया एवं रतुरा योजनाएं ऊर्जान्वित हैं तथा तिकोरायडीह एवं पहाड़िया योजनाओं में सिविल कार्य पूर्ण एवं ऊजान्वयन हेतु लम्बित है। इस जिले के अन्तर्गत भालकों के अधीन सरपत्ता उद्वह सिंचाई योजना नहीं है। तेलरिया योजना में समरसिबुल पम्प सेट में खराबी है। अवर क्षेत्रीय प्रबंधक, देवघर द्वारा इसकी मरम्मती हेतु